Management of the Ambala Cantonment Electric Supply Corporation. Ltd.
v. Workmen of the Ambala Cantonment Electric Supply Corporation
Ltd. etc. (Gurdev Singh, J.)

लेटर्स पेटेंट अपील

समक्ष हरबंस सिंह, मुख्य न्यायाधीश और बलदेव सिंह, न्यायमूर्ति

अंबाला कैंटोनमेंट का प्रबंधन विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड,-अपीलार्थी

बनाम

अंबाला कैंटोनमेंट का कर्मचारी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड,-उत्तरदाता।

1970 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 713

27 अप्रैल, 1972

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV)-धारा 10 (1) और (4) 25एफएफ और 33 (सी)-भारतीय विद्युत अधिनियम (IX of 1910)- धारा 6 और 7-सेवा में निरंतरता और मजदूरी के संरक्षण के लिए श्रमिकों की मांग औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित-राज्य सरकार छंटनी मुआवजे के संबंध में श्रमिकों की मांग से अनजान-न्यायाधिकरण-क्या ऐसा मुआवजा दिया जा सकता है-धारा 25एफएफ-क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अभिनिर्धारित किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (4) में यह कहा गया है कि जब कोई औद्योगिक विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है तो वह अपना निर्णय उन बिंदुओं तक सीमित रखेगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। हालांकि, यह धारा न्यायाधिकरण को "प्रासंगिक मामलों" में जाने के लिए भी अधिकृत करती है। यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट विवाद केवल सेवा की निरंतरता और उनके वेतन की सुरक्षा के लिए श्रमिकों की मांग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सेवा की अन्य शर्तों के संरक्षण के लिए भी है, तो छंटनी के लिए मुआवजे का दावा सेवा की ऐसी शर्तों में से एक है, जिस पर न्यायाधिकरण को अपना दिमाग लगाना होगा। भले ही राज्य सरकार श्रमिकों द्वारा की गई छंटनी मुआवजे की विशिष्ट मांग से अवगत न हो, फिर भी सरकार के लिए यह सक्षम है कि वह न्यायाधिकरण से श्रमिकों के सभी अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए कहे। इसके अलावा, छंटनी मुआवजे की मांग, न्यायाधिकरण को संदर्भित सेवा की निरंतरता के संबंध में मुख्य प्रश्नों के लिए आकस्मिक है और इस राहत को परिणामी राहत के रूप में नहीं दिया जा सकता है। अतः जहां कामगारों की सेवा में निरंतरता और उनकी सेवा की सुरक्षा और सेवा की अन्य शर्तों की मांग न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को भेजी जाती है, वहां अधिकरण कामगारों को छंटनी मुआवजा प्रदान कर सकता है। (पैरा 19).

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 25एफएफ न केवल समझौते द्वारा बल्कि कानून के संचालन द्वारा भी किसी उपक्रम के हस्तांतरण के मामले में श्रमिकों के मुआवजे के अधिकार को मान्यता देती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी और संविधान के अनुच्छेद 14

के तहत प्रदान किए गए कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करता हो। अतः धारा 25एफएफ संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। (पैरा 13).

माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली के 25 सितंबर, 1970 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील 1967 की सिविल रिट संख्या 319 में पारित की गई।

अपीलकर्ता की ओर से वकील जावला दास।

प्रतिवादी नंबर 6 के वकील बीके झिंगन और एसके हीराजी के साथ वकील भागीरथ दास।

मोहिंदरजीत सिंह सेठी, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार दिया गयाः —

(1) गुरदेव सिंह, जस्टिस -लेटर्स पेटेंट की धारा 10 के अधीन यह अपील इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश, दिनांक 25 सितंबर, 1970 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा औद्योगिक अधिकरण, पंजाब (चंडीगढ़) दिनांक 12 सितंबर, 1966 के अधिनिर्णय की वैधता को बरकरार रखा गया है।

(2) हमारे सामने उत्पन्न हुए विवाद को समझने के लिए इस मुकदमे की ओर ले जाने वाले तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक है। जो विवाद अंततः इस अपील का कारण बना है, वह अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, अंबाला छावनी के श्रमिकों और उस निगम के प्रबंधन के बीच है। वर्ष 1935 में, पंजाब सरकार ने मेसर्स बी. आर. हरमन एंड मोहत्ता लिमिटेड, द मॉल, लाहौर को अंबाला छावनी की सीमा के भीतर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन और वितरण के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 के तहत, राज्य सरकार के पास इस अवधि की समाप्ति पर या बाद में प्रत्येक बाद की अवधि की समाप्ति पर उपक्रम खरीदने का विकल्प था, जो इस मामले में 20 वर्ष निर्धारित किया गया था। बाद में देश के विभाजन के बाद भारतीय विद्युत अधिनियम के संशोधन द्वारा, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया है) को राज्य सरकार के बजाय उक्त उपक्रम को खरीदने का पहला विकल्प दिया गया था। इस विकल्प का प्रयोग करने

से पहले, वर्ष 1946 में, अपीलार्थी-निगम (जिसे अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) ने मूल लाइसेंसधारी से उपक्रम खरीदा। कुछ वर्षों के पश्चात् 24 सितंबर, 1963 को प्रत्यर्थी-बोर्ड ने उपक्रम को खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 (1) के अधीन, जिसे अनुज्ञप्ति के खंड 9 के साथ पठित किया गया था, 23 और 24 अप्रैल, 1965 की मध्यरात्रि को उपक्रम को सौंपने के लिए अपेक्षित सूचना दी।

(3) 1 जून, 1964 को अपीलार्थी-निगम ने बोर्ड द्वारा की गई मांग के अनुपालन में अपने कर्मचारियों के विवरण और अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों सहित विभिन्न विवरण प्रस्तुत किए और 11 जून, 1964 को कर्मचारियों को यह सूचना देते हुए नोटिस जारी किए गए कि उपक्रम बोर्ड द्वारा 23 और 24 अप्रैल, 1965 की मध्यरात्रि को अपने हाथ में ले लिया जाएगा। तत्पश्चात, अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, श्रमिक संघ (पंजीकृत) 4528-दल मंडी स्ट्रीट, अंबाला छावनी के रूप में ज्ञात अपने संघ के माध्यम से अपीलार्थी-निगम में कार्यरत कामगारों ने बोर्ड को एक नोटिस दिया, जिसमें मांग की गई कि बोर्ड को उपक्रम को संभालने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को सेवा की निरंतरता की अनुमति देनी चाहिए और सेवा की शर्तों के तहत उनकी मजदूरी और अपीलार्थी-निगम से उन्हें जो लाभ मिल रहे थे, उन्हें लागू करना चाहिए। पूरी तरह से संरक्षित। बोर्ड द्वारा उपक्रम को अपने हाथ में लेने से पहले, 18 मार्च को, अपीलार्थी-निगम ने अपने कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा उपक्रम को अपने हाथ में लेने के समय तक कार्यालय से उनका वेतन लेने के लिए नोटिस दिया।

(4) बोर्ड ने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया और खरीद के एक भाग के रूप में निगम के सभी कर्मचारियों को अपनी सेवा में लेने से इनकार करते हुए कर्मचारियों से साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का आह्वान किया, ताकि ऐसे कामगारों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सके जिन्हें बोर्ड अपने अधीन रोजगार के लिए उपयुक्त समझता है। नतीजतन, निगम के विभिन्न कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, लेकिन बोर्ड द्वारा उनकी सेवा को नए प्रवेशकों के रूप में माना गया। इस प्रकार, अपनी सेवा की निरंतरता और उनके द्वारा प्राप्त वेतन, आदि की सुरक्षा के लिए श्रमिकों की मांगों को लगभग अस्वीकार कर दिया गया था।

(5) 26 अप्रैल, 1965 को श्रमिकों ने निगम के प्रबंधन को निम्नलिखित मांगें करते हुए एक नोटिस (अनुलग्नक 'ग') दिया:

(i) सेवा की समाप्ति के लिए एक महीने के नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन।

(ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के किसी भी हिस्से के लिए पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा।

(iii) 23 अप्रैल, 1965 तक प्रत्येक कर्मचारी/कर्मचारी के क्रेडिट में पड़े बिना अर्जित अवकाश के बदले में मजदूरी और

(iv) किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी के संबंध में निगम के पास बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(6) निगम द्वारा इनमें से किसी भी मांग को स्वीकार करने से इनकार करने पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के तहत सुलह की कार्यवाही श्रम आयुक्त, पंजाब द्वारा की गई थी, लेकिन वे केवल श्रमिकों के पहले मांग नोटिस, दिनांक 24 फरवरी, 1965 के आधार पर थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा मांग नोटिस, दिनांक 26 अप्रैल, 1965, उन कार्यवाही में कभी भी संदर्भित नहीं किया गया था, हालांकि श्रमिकों ने श्रम आयुक्त के समक्ष कहा था कि सुलह की कार्यवाही दोनों नोटिसों के संबंध में थी।

(7) सुलह की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1965 की अधिसूचना द्वारा विफल होने के कारण, विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ को भेज दिया गया। संदर्भित विवाद को इन शब्दों में कहा गया थाः -

"क्या अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम से पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी बोर्ड को इस उपक्रम के हस्तांतरण से पहले अपनी सेवाओं की निरंतरता और उनके वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के संरक्षण के हकदार हैं। यदि नहीं, तो वे किस अन्य राहत/मुआवजे के हकदार थे?

(8) इस अधिसूचना के साथ दिनांक 24 फरवरी, 1965 की मांग सूचना की एक प्रति औद्योगिक अधिकरण के साथ-साथ पक्षकारों, अर्थात् निगम, बोर्ड और कामगार संघ को भेजी गई थी।

(9) कामगारों की ओर से 16 नवंबर, 1965 को संबंधित दस्तावेजों के साथ दावा का एक बयान दायर किया गया था, जिस पर निगम द्वारा एक लिखित बयान दिया गया था। बोर्ड ने दावे का जवाब भी दायर किया, जिसके लिए अपीलार्थी-निगम द्वारा एक प्रत्युत्तर दायर किया गया था।

(10) गुणागुण के आधार पर कामगारों के दावे को चुनौती देने के अलावा, निगम ने

औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री आई. डी. पवार के अधिकार क्षेत्र को संदर्भ के साथ आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। हालाँकि, इस आपत्ति को 3 सितंबर, 1965 के न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, न्यायाधिकरण के समक्ष विवादग्रस्त मामले को निम्नलिखित मुद्दों के रूप में रखा गयाः –

(क) जहां तक अम्बाला छावनी, विद्युत आपूर्ति निगम का संबंध है, क्या विचाराधीन विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है?

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्ड अंबाला छावनी, विद्युत आपूर्ति निगम का उत्तराधिकारी है? यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है?

(ग) क्या कर्मचारियों या उनमें से किसी को अंबाला नंबर, विद्युत आपूर्ति निगम से पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में स्थानांतरित किया गया था?

(घ) यदि निर्गम संख्या 3 का निर्णय कामगारों के विरुद्ध किया जाता है, तो क्या संदर्भ अमान्य है?

(ड) यदि निर्गम संख्या 3 का विनिश्चय कामगारों के पक्ष में किया जाता है तो क्या अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम से पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को अंतरण किए गए कामगार अपनी सेवा की निरंतरता और बोर्ड को इस वचनबद्धता के अंतरण से पूर्व उनके लिए लागू उनकी मजदूरी और सेवा की अन्य शर्तों के संरक्षण के हकदार हैं? यदि नहीं, तो वे किस अन्य राहत/मुआवजे के हकदार थे।

(च) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफएफ के तहत मुआवजे का दावा इस संदर्भ के दायरे में है, और यदि हां, तो किस मुआवजे के लिए यदि श्रमिक हकदार हैं?

(11) विभिन्न मुद्दों के विचारण पर, अधिकरण ने 12 सितंबर, 1965 को अपने अधिनिर्णय की घोषणा की, (अनुलग्नक 'च') जिसमें निगम को निर्देश दिया गया कि वह प्रत्येक संबंधित कामगार को, जो उपक्रम के अंतरण से ठीक पहले कम से कम एक वर्ष तक उसकी निरंतर सेवा में रहा था, निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके किसी भाग के लिए छह महीने से अधिक के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के समतुल्य मुआवजा और भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 79 में उपबंधित अवैतनिक अर्जित अवकाश की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करे। हालांकि, बोर्ड के खिलाफ कोई राहत नहीं दी गई। इस अधिनिर्णय की वैधता के विरुद्ध, निगम ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन एक रिट-याचिका के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा

इस निष्कर्ष पर आंशिक रूप से अनुमति दी गई है कि पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपक्रम को खरीदने से पहले श्रमिकों द्वारा अर्जित छुट्टी के बदले में किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफएफ के अधिकारों और न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और गठन पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इन कानूनी आपत्तियों को दोहराने के अलावा, अपीलार्थी निगम के विद्वत वकील ने हमारे समक्ष विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय के अधिनिर्णय पर जोर देते हुए जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण को दिए गए संदर्भ में छंटनी मुआवजे का दावा शामिल नहीं था और तदनुसार, न्यायाधिकरण उस खाते पर कामगारों को कुछ भी अधिनिर्णय देने के लिए सक्षम नहीं था इस मामले से निपटने से पहले उठाई गई कानूनी आपत्तियों का पहले निपटारा किया जा सकता है।

(12) इस मामले में औद्योगिक विवाद को औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ को भेजा गया था और विवादित निर्णय उस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री ईश्वर दास पवार द्वारा दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था क्योंकि इस अधिकरण का गठन स्थायी आधार पर नहीं बल्कि 1 मार्च, 1963 को तदर्थ आधार पर किया गया था, जब इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री के. एल. गोसाई को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था और यह श्री गोसाई के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो गया था। प्रासंगिक अधिसूचनाओं के संदर्भ में, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। औद्योगिक अधिकरण, पंजाब का गठन पहली बार अधिसूचना संख्या 4194-सी-एलएबी-57/661-आर ए द्वारा किया गया था, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1957 को पंजाब सरकार के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ था। श्री अवतार नारायण गुजराल को तब इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। जब तक श्री अवतार नारायण ने इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता की, तब तक इसका मुख्यालय जालंदूर में रहा। इसके बाद 3 जून, 1959 की एक अधिसूचना द्वारा इस न्यायालय के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री केशो राम पासी को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया और न्यायाधिकरण का मुख्यालय पटियाला में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री पासी के कार्यकाल की समाप्ति पर, श्री के. एल. गोसाईं ने उस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में पदभार संभाला और उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप अधिकरण का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि इस पूरी अवधि के दौरान न्यायाधिकरण पूरे पंजाब के लिए काम करता था। इनमें से कोई भी अधिसूचना इस बात का

संकेत नहीं देती कि न्यायाधिकरण का गठन एक विशिष्ट या सीमित अवधि के लिए किया गया था। दूसरी ओर, ये सभी अधिसूचनाएँ स्पष्ट रूप से यह साबित करती हैं कि न्यायाधिकरण कार्य करता रहा और केवल इसका पीठासीन अधिकारी समय-समय पर बदलता रहा। श्री ईश्वर दास पवार को पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 6410-3-एलएबी 11/66/19868, दिनांक 30 जून, 1966 द्वारा चंडीगढ़ में मुख्यालय के साथ इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(13) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफएफ के अधिकारों को इस याचिका पर चुनौती दी गई है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सटीक तर्क यह दिया गया है कि जबकि किसी उपक्रम के स्वैच्छिक अंतरण के मामले में प्रबंधन एक समझौते द्वारा उपक्रम के कर्मचारियों के संबंध में खरीदार के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है, पक्षकारों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिखाया जाता है जब किसी उपक्रम का हस्तांतरण कानून के संचालन से होता है जैसा कि इस मामले में है। इस संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 और 7 का संदर्भ दिया गया है। जैसा कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा इंगित किया गया है, इन दोनों धाराओं में से किसी में भी भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने विकल्प का प्रयोग करने पर राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपक्रम के कर्मचारी की सेवा के अधिग्रहण के संबंध में कुछ भी नहीं है, और उपक्रम के कर्मचारियों के बारे में एक समझौते पर पहुंचने वाले पक्षों के लिए कोई बाधा नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफएफ न केवल समझौते द्वारा, बल्कि कानून के संचालन द्वारा भी किसी उपक्रम के हस्तांतरण के मामले में श्रमिकों के मुआवजे के अधिकार को मान्यता देती है और हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन करता हो।

(14) यह हमें अपीलार्थी की मुख्य शिकायत पर विचार करने के लिए लाता है कि अधिकरण छंटनी मुआवजा देने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि ऐसा कोई विवाद कभी भी न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और कामगारों के लिए उपलब्ध उपचार, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 33-ग के अधीन उपबंधित था।

(15) 20 अक्टूबर, 1965 की अधिसूचना, जिसके द्वारा संदर्भ दिया गया था, ने इन शब्दों में

निर्दिष्ट विवाद को निर्दिष्ट कियाः "क्या अंबाला कैंट से श्रमिकों का स्थानांतरण किया गया था। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली आपूर्ति निगम अपनी सेवाओं की निरंतरता और बोर्ड को उपक्रम के इस हस्तांतरण से पहले उनके लिए लागू उनकी मजदूरी और सेवा की अन्य शर्तों की सुरक्षा के हकदार हैं। यदि नहीं, तो वे किस अन्य राहत/मुआवजे के हकदार थे।

स्पष्ट रूप से छंटनी मुआवजे के संबंध में किसी भी विवाद का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ से पहले, कामगारों ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के साथ-साथ अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम को दो मांग नोटिस दिए थे, एक 24 फरवरी, 1965 को और दूसरा 26 अप्रैल, 1965 को। याचिका के अनुलग्नक 'बी' को बनाने वाले पहले नोटिस में, इन शब्दों में मांगें बताई गई थींः

(1) अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, अंबाला छावनी का अधिग्रहण करने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को सेवा की निरंतरता प्रदान करने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (जैसा संशोधित किया गया है) के अनिवार्य प्रावधानों के संचालन के अनुसार वरिष्ठता और अन्य लाभों के उद्देश्य से आपके रोजगार में रहते हुए।

(2) अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड अंबाला छावनी का पूर्ण प्रभार संभालने के बाद उपरोक्त विद्युत उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी के प्रचलित वेतन और सेवा की अन्य शर्तों और लाभों को पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए जब सभी कर्मचारी आपके कर्मचारी के अधीन होंगे।

(16) यह 26 अप्रैल, 1965 के दूसरे नोटिस (याचिका के अनुलग्नक 'ग') में था, जिसे केवल अंबाला छावनी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड को संबोधित किया गया था, जिसमें छंटनी मुआवजे सहित आगे की मांगें की गई थीं। इस बार उनकी मांगें थींः

(क) सेवा समाप्ति के लिए एक महीने के नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन।

(बी) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के किसी भी हिस्से के लिए पंद्रह दिन के वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा।

(ग) 23 अप्रैल, 1965 तक प्रत्येक कर्मचारी/कामगार के खाते में पड़े बिना भुगतान किए गए अर्जित अवकाश के बदले में मजदूरी, और

(घ) किसी कर्मचारी/कर्मचारी के संबंध में आपके पास बकाया कोई अन्य राशि।

(17) विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिलेख को देखने पर अपीलार्थी के इस कथन को स्वीकार कर लिया है कि दूसरा नोटिस, जिसमें छंटनी के लिए मुआवजे की मांग थी, राज्य सरकार को कभी नहीं भेजा गया था, जबकि उसे विवाद को न्यायाधिकरण को भेजने के लिए कहा गया था, और "राज्य सरकार के पास उसके समक्ष दिनांक 26 अप्रैल, 1965 का कामगारों का नोटिस नहीं था और उसने इसकी सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया था। लेकिन उसी समय विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी कीः

"हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने संदर्भ देते समय यह कल्पना की थी कि संदर्भित मुख्य विवाद का उत्तर, यानी कि क्या श्रमिक सेवा की निरंतरता और अपने प्रचलित वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के संरक्षण के हकदार थे, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। यदि औद्योगिक अधिकरण द्वारा इसका उत्तर सकारात्मक था, तो याचिकाकर्ता कंपनी का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता, लेकिन, यदि उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक था, तो याचिकाकर्ता कंपनी का दायित्व किसी भी राहत के संबंध में निर्धारित किया जाना था कि श्रमिक उन पर लागू कानूनों में छेड़छाड़ करने के हकदार थे। नियम 10-क और 10-ख वहां लागू होते हैं जहां संदर्भ सुलह अधिकारी की रिपोर्ट पर या नियोक्ता या कामगार द्वारा आवेदन पर किया जाता है, लेकिन सरकार को औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामी मामलों का एक या दूसरे तरीके से संदर्भ देने पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने कामगारों के नोटिस, दिनांक 24 फरवरी, 1965 में वर्णित प्रमुख औद्योगिक विवाद को अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया और निर्दिष्ट विवाद का दूसरा भाग, संदर्भित मामले के पहले भाग के उत्तर के आधार पर परिणामी राहत के रूप में था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निर्धारित करना औद्योगिक अधिकरण की क्षमता के भीतर नहीं था कि क्या श्रमिक किसी अन्य राहत के हकदार थे, यदि वे सेवा की निरंतरता और अपने वेतन आदि के संरक्षण के हकदार नहीं थे, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित विवाद के पहले भाग में कहा गया है। इसलिए अधिकरण द्वारा उस मामले के निर्णय को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं ठहराया जा सकता है।

(18) अपीलार्थी के इस कथन की विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति को ध्यान में

रखते हुए कि 26 अप्रैल, 1965 की सूचना, जिसमें केवल छंटनी मुआवजे की मांग थी, कभी भी सरकार को नहीं भेजी गई थी या जब संदर्भ दिया गया था तब उसके समक्ष थी, इस स्तर पर जिस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या राज्य सरकार संदर्भ देते समय इस तथ्य से अवगत थी कि छंटनी मुआवजे के बारे में पक्षों के बीच विवाद था और न्यायाधिकरण भी उस पर निर्णय करेगा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संदर्भ दिए जाने से पहले सुलह की कार्यवाही हुई थी उन कार्यवाहियों का संचालन करने वाले मुख्य सुलह अधिकारी श्री हरबंस राज सिंह ने यह दावा नहीं किया कि 26 अप्रैल, 1965 का नोटिस उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट या संदर्भ के लिए सिफारिश के साथ सरकार को भेजा गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह नोटिस मुख्य सुलह अधिकारी की रिपोर्ट के साथ था। इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए, एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से इंगित किया है कि यदि यह नोटिस सरकार को भेजा जाता, तो इस नोटिस की एक प्रति सरकार द्वारा अपीलार्थी और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को संदर्भ देने वाली अधिसूचना की एक प्रति के साथ भेजी जाती। 20 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना, जिसके द्वारा मामला औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था, में वर्णित विवाद के शब्दों की तुलना कामगार नोटिस, दिनांक 24 फरवरी, 1965 में की गई मांगों से करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने संदर्भ देते समय इस सूचना में उल्लिखित मांगों पर ही अपना विवेक लगाया था। न्यायाधिकरण को भेजे गए विवाद के विषय के अंतिम वाक्य, जैसा कि 20 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना में कहा गया है, में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार ने न्यायाधिकरण से यह निर्धारित करने के लिए कहा था कि क्या श्रमिक किसी अन्य राहत या मुआवजे के हकदार थे, यदि उनकी सेवा की निरंतरता, उनके वेतन की सुरक्षा और उपक्रम के हस्तांतरण से पहले उन पर लागू उनकी सेवा की शर्तों की मांग मान्य नहीं पाई गई थी। भले ही राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं थी कि छंटनी मुआवजे की एक विशिष्ट मांग की गई थी, फिर भी यह न्यायाधिकरण से उस उपक्रम के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों के अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए कहने के लिए सक्षम था जिसमें वे सेवारत थे। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई है, यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ ने न्यायाधिकरण को छंटनी मुआवजे के लिए कामगारों के दावे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

-W;

(19) यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) में यह कहा गया है कि अधिकरण अपने निर्णय को उन बिंदुओं तक सीमित रखेगा जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, फिर भी साथ ही यह अधिकरण को "उसके आनुषंगिक मामलों" में जाने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट विवाद सेवा की निरंतरता और उनके वेतन की सुरक्षा के लिए श्रमिकों की मांग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सेवा की अन्य शर्तों के संरक्षण के लिए भी था, और हमारी राय में, छंटनी के लिए मुआवजे का दावा सेवा की ऐसी शर्तों में से एक है, जिस पर न्यायाधिकरण को अपना दिमाग लगाना था। वास्तव में, हम पाते हैं कि छंटनी मुआवजे की यह मांग विशेष रूप से कामगारों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपने दावे के बयान में की गई थी और अपीलार्थी को उसी का जवाब देने का अवसर दिया गया था। इसके अलावा, हम विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत हैं कि यह प्रश्न, कि क्या श्रमिक छंटनी मुआवजे के हकदार थे, मुख्य प्रश्न के लिए आकस्मिक था जिसे न्यायाधिकरण को भेजा गया था और यह राहत एक परिणामी राहत के रूप में दी जा सकती है। तदनुसार, हम अपीलार्थी की शिकायत में कोई सार नहीं पाते हैं कि अधिकरण ने छंटनी मुआवजा देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

(20) छंटनी के लिए मुआवजे के लिए अपीलार्थी के दायित्व पर विवाद करते हुए, श्री जवाला दास ने तर्क दिया कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 और 7 के प्रावधानों को देखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफएफ मामले पर लागू नहीं होगी, लेकिन धारा 22एफएफएफ के प्रावधान इसे नियंत्रित करेंगे। तथापि, यह मामला यू. पी. विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम आर. के. शुक्ला (1) मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स के हाल के एक निर्णय से समाप्त हुआ है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरण पर उत्पन्न छंटनी मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व क्रेता राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह उपक्रम के प्रतिस्थापन में कंपनी को देय खरीद राशि के साथ संलग्न होगा। संबंधित प्रावधानों को नोटिस करने के बाद, उनके लॉर्डशिप्स ने कहाः "यह स्पष्ट है कि जब उपक्रम खरीदार में निहित होता है, तो कोई भी ऋण, बंधक या इसी तरह का दायित्व उपक्रम के प्रतिस्थापन में खरीद धन से जुड़ा होता है। छंटनी मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व एक ऋण है। यदि यह अंतरण पर उत्पन्न होता है तो यह 'उपक्रम के प्रतिस्थापन में' कंपनी को देय खरीद राशि के साथ संलग्न होगा। भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 6 और 7 कंपनी के मामले का समर्थन नहीं करती है कि बोर्ड के उपक्रम को संभालने के बाद दायित्व उसके खिलाफ प्रवर्तनीय है।(1) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 237.

(21) यह प्राधिकरण श्री जवाला दास के इस अन्य तर्क को और नकारता है कि संबंधित कामगारों को धारा 33-ग के प्रावधानों को लागू करना चाहिए था, क्योंकि उनके अधिपतियों ने फैसला सुनाया है कि श्रम न्यायालय को इस प्रश्न पर जाने की कोई शक्ति नहीं है कि क्या छंटनी की गई है, लेकिन यह मुआवजे की गणना केवल तभी कर सकता है जब छंटनी स्वीकार कर ली गई हो। इस मामले में, अपीलार्थी ने कभी यह स्वीकार नहीं किया था कि छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे का दावा कामगारों द्वारा किया जा सकता है।

(22) यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम गंगा घाटी विद्युत आपूर्ति कंपनी और अन्य के कामगारों के मामले में भी, उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने निर्णय दिया है कि कामगार उस कंपनी से छंटनी मुआवजे के हकदार थे जिसमें वे कार्यरत थे न कि उस बोर्ड से जिसमें उपक्रम हस्तांतरित किया गया था। यह याद रखा जा सकता है कि निर्देश न केवल बोर्ड के खिलाफ था, बल्कि अपीलार्थी के खिलाफ भी था और न्यायाधिकरण उस पक्ष के खिलाफ राहत देने के लिए सक्षम था जो कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था।

(23) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और मैं इसे लागत के साथ खारिज कर दूंगा।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा